न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर , केम्प भोपाल

निग -29-88-PBR-16

पुर्नरिक्षण याचिका क्रं0 - /2015-16

प्रस्तुत दि0- 31. 08. 2016

पुर्नरिक्षणकर्ता - विनोद आयु 60 वर्ष आ0 श्री अनोखीलाल उपाध्याय, जाति ब्रा0 , निवासी ग्रामनयापुरा तहसील हंडिया जिला हरदा म. प्र.

विरूद्ध

उत्तरवादीगण - {1}- श्रीमती हीरामणी राय पत्नि जयनारायण राय, निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा

{2}-श्रीमती प्रेमबाई पत्नि जगदीश जाट, निवासी ग्राम नयापुरा तहसील हंडिया, जिला हरदा

{3}-शिवशंकर आ0 अमरचंद राय जाति कलाल, निवासी ग्राम नयापुरा तहसील हंडिया, जिला हरदा

{4}-देवेन्द्र कुमार आ0 अनोखीलाल उपाध्याय उम्र लगभग 50 वर्ष , जाति ब्रा0 निवासी ग्राम नयापुरा, तहसील हंडिया, जिला हरदा

CF 27.9.16

NP 27.9.16

पुर्नरिक्षण याचिका अंतर्गत धारा50 म. प्र. भू. रा. सं.

पुर्नरिक्षणकर्ता न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हंडिया के कार्यालय रा. नि. मं. हंडिया द्वारा जारी सूचना पत्र जिसका क्रमांक- /क्यू. /रा. नि. /रा. नि. /2010 हंडिया, दिनांक 19. 04. 2012 एवं उन्हे प्राप्त राजस्व मामले मे नोटिस तहसीलदार महोदय हंडिया जिसका विषय धारा 250 क्रं - अ-70 वर्ष 2011-12 ग्राम नयापुरा

विनोद कुमार उपाध्याय

तथा दिनांक 27.04.2005 मामला क्रं0 - 15/04-05 सीमांकन बावत अ-12 तहसील हंडिया जिला हरदा के पश्चात उत्तरवादी क्रं01 के द्वारा प्रस्तुत धारा 250 म.प्र. भू.रा.सं. के अंतर्गत न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय हंडिया से प्राप्त नोटिस के विरुद्ध जिसके अंतर्गत सीमांकन दिनांक 2.05.2012 का सीमांकन हुआ है का सूचना पत्र नही मिलने के परिपेक्ष्य में सूचना पत्र और सीमांकन को संपूर्ण रूप से निरस्त किये जाने बावत यह पुर्नरिक्षण याचिका निम्न तथ्यो एवं आधारो पर प्रस्तुत है ।

R 2988-PBR/16 हरदा

30.11.2016

आवेदक की ओर से श्री बल्दीप सिंह राजपूत अभिभाषक एवं अनावेदक क्रमांक 1,3 की ओर से श्री उपेन्द्र अग्रवाल अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 2 की ओर से श्री हरिओम एवं अनावेदक क्रमांक 4 स्वयं उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। यह निगरानी सीमांकन के सूचना पत्र के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही सम्पन्न हो चुकी है। इसके अतिरिक्त निगरानी अवधि बाह्य भी प्रस्तुत की गई है, उस सम्बन्ध में स्वयं आवेदक की ओर से सीमांकन में आपत्ति करना स्वीकार किया गया है। अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य एवं निरर्थक होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष

शिवशंकर

30/11